तत्काल

समयबद्ध

संख्या एस 11029/1/2015-ई.ए.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(आर्थिक सलाहकार स्कंध)

कमरा संख्या 7 बी-विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली -110001
दिनांक : 05 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में ।

अनुदान मांग (2016-17) की जांच के संबंध में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों तथा जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति को फरवरी 2017 के पहले लेसप्तह में प्रस्तुत की जानी है। इस संबंध में अनुरोध है कि चालू वित्तीयवर्ष (1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2016 तक) के दौरान अपने संगठन की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों व नए प्रयासों पर केन्द्रित आवश्यक सामग्री तथा 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक की संभावित/प्रत्याशित उपलब्धि संबंधी सामग्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की वर्ष **2016-17** की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए इस विंग को 7 जनवरी, 2017 तक adviserce-mowr@nic.in, dsea-mowr@nic.in, manikfan@nic.in पर भेजने/ईमेल करने का कष्ट करें। इससे इस विंग को रिपोर्ट तैयार करके मुद्रित करने के लिए उसे अंतिम रूप देने तथा संबंधित सदस्यों, समितियों तथा अन्य व्यक्तियों को निर्धारित समय-सीमा में भेजने में सुगमता होगी।

2. वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री भेजते समय कृपया निम्नलिखित सुनिश्चित करें:-

क) मंत्रालय के योगदान को प्रदर्शित करें और तकनीकी, उन्नति, आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए किए गए प्रयासों तथा कुशल जल प्रबंधन आदि के संबंध में राज्य सरकारों और प्राधिकरणों को दिए गए सुझावों का भी उल्लेख करें।

ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए कार्यों, यदि कोई हो, का ब्यौरा "पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलाप" शीर्षक के तहत दें; और

ग) सूचना, तथ्यों आंकडों और टाइपोग्राफी संबंधी त्रुटियों से मुक्त है।

3. इस संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाए:

i मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं.सं)/ राज्य मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं.सं.)/सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं) द्वारा उद्घाटन किए गए कार्यों/उपस्थित बैठकों, यदि कोई हो, का ब्यौरा और साथ ही हाई रिजोल्यूसन में फोटो दें।

ii कृपया चयन करने के लिए फोटो (मूल प्रतियां) पर्याप्त संख्या में भेजें।

iii. स्टाफ की संख्या (31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार वास्तविक स्टाफ के आधार पर स्थिति दर्शाते हुए एक समान आधार पर अलग-अलग एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच की स्थिति समूह-वार दर्शाते हुए)

iv. अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पूर्व-सैनिक और विकलांगों को सेवा में आरक्षण और अन्य लाभों के संबंध में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति दर्शाती है;

v. विवरण में लिंगभेद संबंधी मुद्दों के सुचारू निपटान के लिए किए गए प्रयास शामिल किए जाने चाहिए जिनमें किए गए नए प्रयास, वर्तमान स्कीमें और महिलाओं तथा लिंगभेद संबंधी मुद्दों के संबंध में नीति, उपलब्ध संसाधन और इन स्कीम क्रियाकलापों के लिए उनका उपयोग और लिंग के आधार पर अलग-अलग आंकड़े शामिल होंगे;

vi. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए किए गए विभिन्न क्रियाकलाप तथा लिए गए नीतिगत निर्णय दर्शाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

- विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए स्कीमें।
- वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक स्कीम के तहत आवंटित बजट और किया गया व्यय।
- लाभार्थी व्यक्तियों की संख्या
- प्रति व्यक्ति व्यय
- स्वीकृत पद और अधिनियम की धारा 33 के तहत विकलांगों के लिए आरक्षित 3% रिक्तियों की तुलना में विभिन्न पदों पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या।

4. जहां दीर्घावधि प्रकृति की स्थायी समिति अथवा अस्थायी प्रकृति की समितियों को जारी रखा जाना है, यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उनके कार्य तथा निष्पादन की सकारात्मक समीक्षा की जाए और मंत्रालय की वार्षिक कार्य रिपोर्ट में दर्शाया जाए। इसलिए प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री में ऐसी समितियों और उनके निष्पादन को भी शामिल किया जाए।

5. वार्षिक रिपोर्ट में मंत्रालय के अधीन संगठनों के संबंध में सतर्कता क्रियाकलापों का ब्यौरा भी शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में सूचना केवल उन सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए संगठन स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्राधिकरण हैं।

6. चालू वर्ष (31 दिसम्बर, 2016 तक) के दौरान प्राप्त, निपटान किए गए एवं लम्बित स्टाफ शिकायतों से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ें भी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाएं। स्टाफ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत और संबंधित स्टाफ को संतुष्ट करते हुए जिस प्रकार शिकायत का निवारण किया गया उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा भी शामिल किया जाना चाहिए।

7. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने यह इच्छा जताई है कि शासन में क्षमता निर्माण-सार्वजनिक सेवा प्रदायगी (सेवोत्तम) में मॉडल बेंचमार्किंग उत्कृष्टता के संबंध में सूचना वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जानी होगी। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि आपके संगठन द्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता की ओर किए गए प्रयासों से सेवा की प्रदायगी में किए गए सुधार से संबंधित सूचना भी दी जाए।

8. वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट (मंत्रालय की वेबसाइट: www.mowr.gov.in पर उपलब्ध) में आपके संगठन/विंग के संबंध में शामिल की गई अंतिम सामग्री के आधार पर वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का आकार छोटा रखने का प्रयास किया जाए अर्थात् कम से कम शब्दों के साथ स्पष्ट विवरण दिया जाए।

9. मंत्रालय के दिनांक 04 अगस्त के आदेश संख्या सं. ई-11016/1/2016-हिन्दी के अनुसरण में वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री हिन्दी में तैयार की जाये और उसका अँग्रेजी पाठ भी उपलब्ध कराया जाये। हिन्दी पाठ की सॉफ्ट कॉपी कृपया यूनिकोड में उपलब्ध कराई जाये। संबन्धित संगठनों/स्कंधों द्वारा तैयार किए गए हिन्दी पाठ की केवल प्रामाणिकता मात्र ही हिन्दी अनुभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

10. सामग्री संबंधित संगठनों/स्कंधों के प्रमुख द्वारा विधिवत अनुमोदित होनी चाहिए और इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(एल.बी तौल्ते)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011-23382448
dsea-mowr@nic.in

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर पुरम, नई दिल्ली। (फैक्स) 26108614
2. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पो. खडकवासला, पुणे-411024. (फैक्स) 020 24381004
3. निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, हौज खास, नई दिल्ली 110016 (फैक्स) 26965307
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 'सी', एनएच-IV, फरीदाबाद-121001। (फैक्स) 0129 2412524
5. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण समिति, सिंचाई भवन, तृतीय तल, पटना--800015 (फैक्स) 0612 2217895, 2217862
6. सचिव, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड, समाब कालोनी, रीवा (मध्य प्रदेश)-486005 (फैक्स) 07660 242433
7. महाप्रबंधक, फरक्का बराज परियोजना, पो.-फरक्का बैराज, मुर्शिदाबाद-742212 (पश्चिम बंगाल)। (फैक्स) 03485 253608
8. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, बीजी-I13, योजना No.74 / सी, विजय नगर, इंदौर -452008। (फैक्स) 0731 2559888
9. अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, वशिष्ठ, गुवाहाटी-781028। (फैक्स) 0361 2301099
10. सचिव, बेतवा नदी बोर्ड, नंदनपुरा, झांसी-284003। (फैक्स) 0510 2480237
11. अध्यक्ष, तुंगभद्रा बोर्ड, पो. तुंगभद्रा बांध, बेल्लारी-583225, (कर्नाटक) (फैक्स) 040 23308642
12. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन, रुड़की-247667 (उत्तरांचल) (फैक्स) 01332 273976
13. महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, 18-20, सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली। (फैक्स) 26960841
14. अध्यक्ष, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, 202 'एस', सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली। (फैक्स) 26184025
15. सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, चौथी मंजिल, ए ब्लॉक, नर्मदा भवन, इंदिरा एवेन्यू, वडोदरा-390001 (फैक्स) 0265-2421438
16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, WAPCOS लिमिटेड, "कैलाश", 26, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली। (फैक्स) 23314924

17. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, प्लॉट नं 67-68, सेक्टर -25, फरीदाबाद -121004। (फैक्स) 0129 2231269
18. अपर सचिव, एनएमसीजी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
19. राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
20. निदेशक, NERIWALM, Dolabari, तेजपुर, असम - 784027
21. अध्यक्ष, अपर यमुना नदी बोर्ड, विंग -4, पश्चिम ब्लॉक -1, भूतल, आर पुरम, नई दिल्ली- 110066

इसी तरह की कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सभी विंग प्रमुख / प्रभाग प्रमुख/ सभी आयुक्त, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

2. निदेशक (जीडब्ल्यू) / निदेशक (स्था.) / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव / लेखा नियंत्रक

3. सभी अनुभाग / डेस्क / जल संसाधन मंत्रालय की इकाइयाँ

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:

मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के निजी सचिव/ राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के प्रधान निजी सचिव/सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के निजी सचिव)/ओ एस डी (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के निजी सचिव)।